राज्य बजट का अध्ययन व विश्लेषण

# बजट समाचार

त्रैमासिक | अंक 62 | अक्टूबर - दिसम्बर 2017 | सीमित प्रसार के लिए

## सम्पादकीय

चुनावी वर्ष के इस बजट में सरकार ने भविष्य में होने वाली भर्तीयों और रोजगार के अवसरों पर जोर दिया। किसानों के ऋण माफी को एक बड़ी घोषणा के रूप में प्रस्तुत किया गया लेकिन यह ऋण केवल सहकारी बैंक से लिये 50 हजार रूपये तक के ऋण पर लागू है। इसमें वे किसान शामिल नहीं हैं जिन्होंने अन्य बैंकों से ऋण लिया है। रिजर्व बैंक के आंकड़े के अनुसार देशभर में केवल 20 प्रतिशत किसान सहकारी बैंकों से ऋण लेते हैं। उनके लिये बस कृषक ऋण राहत आयोग की घोषणा हुई है। इसी तरह एक बड़ी घोषणा 52 हजार करोड़ रूपये के जल परियोजनाओं हेतु की गई है। लेकिन बजट भाषण में यह भी कहा गया कि इनके लिये वित्तीय संसाधन राज्य सरकार के अलावा भारत सरकार और अंतराष्ट्रीय संस्थाओं से जुटाया जायेगा।

समाजिक क्षेत्र में महिला मानदेय कर्मीयों के मानदेय में मामुली वृद्धि हुई है। साथ ही उनके लिये बीमा योजना का प्रीमियम पूरी तरह सरकार देगी। सामाजिक सुरक्षा के अन्तर्गत विकलांगजनों, वृद्धों और एकल महिलाओं के पेंशन में कोई वृद्धि नहीं की गई है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में 28 नये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने और 16 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में क्रमोन्नत करने की घोषणा हुई है। मध्यान्ह भोजन में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में सप्ताह में तीन दिन दुग्ध देने की घोषणा की गई है। शिक्षा के क्षेत्र में 1163 आदर्श विद्यालयों की घोषणा तथा 77 हजार शिक्षकों एवं अन्य शिक्षाकर्मीयों की भर्ती की घोषणा की गई है।

बजट में 24 सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रों में महिला विंग खोलने की घोषणा को महिला सशक्तिकरण कहा गया है। लेकिन महिलाएं पुरूष छात्रों के साथ अध्ययन क्यों नहीं कर सकती, यह नहीं बताया गया है। साथ ही महिला कर्मचारियों के लिये बच्चों के देखभाल के लिये 2 वर्ष की छुट्टी का प्रावधान किया गया है जो स्वागत योग्य है। लेकिन सरकार को असंगठित क्षेत्र में कार्यरत लाखों लोगों की भी चिंता करनी चाहिये जिनको राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत मिलने वाले 6000 रूपये के मातृत्व लाभ को केन्द्र सरकार ने अब जाकर लागू किया है और उसे भी घटाकर 5000 रूपये कर दिया है और उसे भी 1 बच्चे तक सीमित कर दिया है। इस बजट में सरकार ने आर्थिक रूप पिछड़े वर्गो के लिये भी घोषणाएं की है लेकिन सबसे अधिक घोषणाएं हुई हैं विभिन्न प्रकार के स्टाम्प दरों में कटौती की।

राज्य की वित्तीय स्थिती की बात करें तो इस वर्ष पुनः राज्य में राजस्व घाटे की स्थिति रहेगी जबकि राजकोषीय घाटे को 3 प्रतिशत के अन्दर रखने का लक्ष्य रखा गया है। वस्तु एवं सेवाकर के बाद राज्य में स्वकरों में इससे कोई खास बदलाव नहीं आया है जहाँ पहले मूल्य परिवद्धित (वैट) कर से 2016–17 में 28558 करोड़ रूपये आये थे वहीं 2017–18 में 31200 करोड़ वैट तथा राज्य जीएसटीसी मिलाकर आने का (संशोधित) अनुमान है तथा वर्ष 2018–19 में इन दो मदों से 36600 करोड़ रूपये का लक्ष्य रखा गया है जिसमें जीएसटीसी के 21000 करोड़ रूपये इसमें शामिल हैं। हलांकि इस वर्ष बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, कृषि एवं सिंचाई क्षेत्रों के बजट में अच्छी बढ़ोतरी हुई है जो कि सकारात्मक कदम है लेकिन वहीं ग्रामीण विकास के बजट में कटौती की गई है। लेकिन जिन क्षेत्रों में बजट आवंटन बढ़ा है उनमें भी अक्सर वास्तविक खर्च आवंटन से कम ही रहता है। कुल मिलाकर इस सरकार का अन्तिम बजट बहुत उत्साहित करने वाला बजट नहीं है। यह बजट चुनावी वर्ष में जरूर आया है लेकिन इसका लक्ष्य आम तौर पर व्यापार एवं उद्योग ही लगते हैं। करों का सरलीकरण, व्यापारी कल्याण बोर्ड एवं निधी की घोषणा, उद्योगों को बढ़ावा देने पर जोर उद्योग और व्यापार जगत को खुश कर सकते हैं। आशा है इनसे लंबे समय से स्थिर रोजगार में वृद्धि होगी। परन्तु शिक्षा में 77 हजार सहित कुल 1 लाख 8 हजार भर्तीयां, 52 हजार करोड़ की जल परियोजनाओं के लिये वित्त का जुगाड़ आदि घोषणाएं सरकार बचे हुए आठ महिनों में कर पायेगी।

# राजस्थान में शिक्षा बजट

भारत विश्व के निम्न मानव विकास सूचकांक वाले देशों में आता है। 2014 के मानव विकास सूचकांक के अनुसार भारत विश्व के 180 देशों में 130वें पायदान पर है जो बेहद ही शर्मनाक स्थिति है। देशों में शिक्षा की स्थिति मानव विकास सूचकांक का एक हिस्सा है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रकाशित सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्य और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 2015 में शिक्षा पर विशेष जोर दिया गया है। भारत में फिलहाल 29 राज्य और 7 संघ राज्य है। अगर इन राज्यों का मानव विकास सूचकांक देखें तो हम पाएंगे कि राजस्थान निम्न सूचकांक वाले राज्यों में है। राजस्थान में शिक्षा की स्थिति भी अन्य राज्यों की तुलना में बहुत खराब है। 2011 के जनगणना प्रतिवेदन के अनुसार राज्य में साक्षरता दर 67.06 प्रतिशत है, जो देश की औसत साक्षरता दर (74.04 प्रतिशत) से कम है। वर्ष 2001 से 2011 के बीच राजस्थान भारत के राज्यों और संघीय प्रदेशों की सूची में 4 पायदान लुढ़ककर 29वें स्थान से 33वें स्थान पर पहुँच गया है। पुरूष एवं महिला साक्षरता दर के मामले में भी राजस्थान बाकि राज्यों और संघ राज्यों से बहुत पीछे है। 2011 के जनगणना प्रतिवेदन के अनुसार राज्य में पुरूष साक्षरता दर 80.51 प्रतिशत है जबकि महिला साक्षरता दर केवल 52.66 प्रतिशत है। भारत में महिला साक्षरता की दृष्टि से राजस्थान सबसे निचले पायदान पर है।

जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान ग्रामीण सारक्षरता दर (62.34) में देश के अन्तिम पाँच राज्यों में से एक है। प्रस्तुत नोट में राज्य में शिक्षा हेतु आवंटित बजट का विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है।

**राजस्थान में शिक्षा बजट** : राज्य में शिक्षा बजट की स्थिति का विवरण इस खंड में दर्शाया गया है।

**तालिका–1 : राजस्थान में सरकार का शिक्षा हेतु बजट एवं व्यय (राशि करोड़ में)**

| मद | 2015–16 बजट अनुमान | 2015–16 संशोधित अनुमान | 2015–16 वास्तविक व्यय | 2016–17 बजट अनुमान | 2016–17 संशोधित अनुमान | 2016–17 वास्तविक व्यय | 2017–18 बजट अनुमान | 2017–18 संशोधित अनुमान | 2018–19 बजट अनुमान |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| राजस्व | 23707.67 | 22221.22 | 21096.9 | 25222.6 | 25563.2 | 24498.2 | 26807.2 | 28012.5 | 33721.3 |
| पूंजीगत | 116.90 | 170.04 | 155.02 | 239.12 | 139.12 | 119.07 | 881.00 | 585.48 | 831.96 |
| कुल व्यय | 23824.57 | 22391.26 | 21251.9 | 25461.7 | 25702.3 | 24617.3 | 27688.2 | 28597.9 | 34553.3 |
| राज्य के बजट व्यय से प्रतिशत | 17.3 | 16.3 | 16.4 | 16.8 | 17.3 | 17.6 | 16.6 | 16.3 | 17.5 |
| जी.एस.डी.पी. से प्रतिशत | 3.5 | 3.3 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.7 |

**स्रोत** : बजट पुस्तिका, वित्त विभाग, राजस्थान, संबंधित वर्ष

**नोट** : शिक्षा पर कुल व्यय में सामान्य शिक्षा, तकनिकी शिक्षा, खेलकूद एवं युवा सेंवाएं, कला एवं संस्कृति का राजस्व एवं पूंजीगत व्यय का योग है।

उपरोक्त तालिका के अनुसार वर्ष 2018–19 हेतु पेश किये गये बजट में शिक्षा पर आवंटन में गत वर्षों की तुलना में मामूली वृद्धि हुई है। वर्ष 2018–19 हेतु करीब 34553.32 करोड़ रू आवंटित किये हैं जो गत वर्ष के संशोधित बजट से करीब 20.8 प्रतिशत अधिक है, यह बढ़ोतरी संभवतः राज्य में सातवें वेतन आयोग को लागू करने के परिणामस्वरुप शिक्षकों एवं कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी होने से हुई है। गत वर्ष 2017–18 हेतु पेश किये गये बजट में शिक्षा हेतु करीब 27688.18 करोड़ रू आवंटित किये गये थे जिसको संशोधित बजट में कुछ बढ़ाकर करीब 28597.99 करोड़ रू कर दिया गया है। सरकार द्वारा शिक्षा पर किये गए कुल व्यय में पूंजीगत व्यय मात्र करीब 2.5 से 3 प्रतिशत है, जबकि तकरीबन 97 से 97.5 प्रतिशत राजस्व व्यय है। गत वर्षों की तुलना में वर्ष 2017–18 एवं 2018–19 के बजट में पूंजीगत आवंटन में बढ़ोतरी की गयी है। राज्य में शिक्षा पर कुल बजट व्यय को राज्य के कुल बजट व्यय के प्रतिशत रुप में देखा जाये तो यह विगत 5 वर्षों में करीब 16–17.5 प्रतिशत रहा है। इसी प्रकार यदि राज्य में शिक्षा पर कुल बजट व्यय की तुलना सकल घरेलू राज्य उत्पाद (जी. एस.डी.पी.) से की जाये तो यह मात्र करीब 3 से 3.5 प्रतिशत के आसपास रहा है।

**सामान्य शिक्षा पर राजस्व व्ययः**

**तालिका–2 : सामान्य शिक्षा पर राजस्व व्यय (2202) (राशि करोड़ में)**

| मद | 2015–16 बजट अनुमान | 2015–16 संशोधित अनुमान | 2015–16 वास्तविक व्यय | 2016–17 बजट अनुमान | 2016–17 संशोधित अनुमान | 2016–17 वास्तविक व्यय | 2017–18 बजट अनुमान | 2017–18 संशोधित अनुमान | 2018–19 बजट अनुमान |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| प्राथमिक शिक्षा | 13614.5 (58.39) | 10854.3 (49.74) | 10517.4 (50.74) | 11787.7 (47.51) | 11041.3 (43.92) | 10647.6 (44.2) | 10970.7 (41.58) | 11211.3 (40.7) | 13260.2 (39.9) |
| माध्यमिक शिक्षा | 8246.16 (35.36) | 9489.67 (43.49) | 8775.45 (42.34) | 11442.9 (46.12) | 12553.4 (49.93) | 11985.2 (49.7) | 13788.8 (52.26) | 14745.5 (53.5) | 18096.1 (54.5) |
| उच्च शिक्षा | 1076.50 (4.62) | 1175.48 (5.39) | 1164.64 (5.62) | 1226.54 (4.94) | 1225.76 (4.88) | 1169.6 (4.9) | 1248.16 (4.73) | 1226.7 (4.4) | 1372.8 (4.1) |
| प्रोढ़ शिक्षा | 87.46 (0.38) | 40.17 (0.18) | 19.20 (0.09) | 68.10 (0.27) | 26.43 (0.11) | 25.1 (0.1) | 58.86 (0.22) | 56.3 (0.2) | 59.8 (0.2) |
| भाषा विकास | 212.82 (0.91) | 191.04 (0.88) | 187.42 (0.9) | 205.31 (0.83) | 216.48 (0.86) | 208.1 (0.9) | 238.36 (0.90) | 248.0 (0.9) | 310.3 (0.9) |
| कुल | 23317.4 (100) | 21820.6 (100) | 20727.8 (100) | 24812.9 (100.) | 25141.6 (100) | 24106.5 (100) | 26386.4 (100) | 27579.4 (100) | 33206.5 (100) |

**स्रोत** : बजट पुस्तिका, वित्त विभाग, राजस्थान, संबंधित वर्ष

**नोट** : ( ) में विभिन्न मदों का कुल व्यय से प्रतिशत है।

शिक्षा बजट में वर्ष 2015–16 तक राजस्व व्यय की करीब आधे से अधिक (54 से 60 प्रतिशत) राशि प्राथमिक शिक्षा पर आवंटित एवं व्यय की जाती थी, जबकि माध्यमिक शिक्षा पर करीब 33 से 39 प्रतिशत राशि व्यय की जाती रही है। जबकि वर्ष 2015–16 से प्राथमिक शिक्षा के बजट में लगातार कटौती कर माध्यमिक शिक्षा में बढ़ोतरी की गयी है। कुल शिक्षा बजट का केवल 4 से 5 प्रतिशत ही उच्च शिक्षा पर व्यय हो रहा है। इसके अलावा पिछले वर्षो की तुलना में इस वर्ष प्रोढ़ शिक्षा एवं भाषा विकास में भी थोड़ी कमी देखी जा सकती है।

**सामान्य शिक्षा पर पूंजीगत व्यय :**

**तालिका–3 : शिक्षा, खेल–कुद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत व्यय (4204) (राशि करोड़ में)**

| मद | 2015–16 बजट अनुमान | 2015–16 संशोधित अनुमान | 2015–16 वास्तविक व्यय | 2016–17 बजट अनुमान | 2016–17 संशोधित अनुमान | 2016–17 वास्तविक व्यय | 2017–18 बजट अनुमान | 2017–18 संशोधित अनुमान | 2018–19 बजट अनुमान |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| राशि | 116.90 | 170.04 | 155.0 | 239.1 | 139.1 | 119.1 | 881.7 | 585.5 | 832.0 |

**स्रोत** : बजट पुस्तिका, वित्त विभाग, राजस्थान, संबंधित वर्ष

जैसा कि उपर स्पष्ट किया गया है कि सरकार द्वारा शिक्षा पर किये गए कुल व्यय में पूंजीगत व्यय 2–3 प्रतिशत है, जबकि करीब 97–98 प्रतिशत से ज्यादा राजस्व व्यय है। अतः शिक्षा पर कुल व्यय में अधिकांश व्यय राजस्व मदों के अंतर्गत किया जाता है। शिक्षा हेतु पूंजीगत बजट में वर्ष 2017–18 में करीब 881 करोड़ रु. आवंटित किये थे जिसको संशोधित बजट में कम करके 585 करोड़ रु. कर दिया गया है। साल 2018–19 के बजट अनुमान में पूंजीगत बजट करीब 832 करोड़ रु. रखा गया है। अतः गत दो वर्षों में शिक्षा पर पूंजीगत बजट में अच्छी बढ़ोतरी की गयी है।

**राज्य में सर्व शिक्षा अभियान का बजट :**

**तालिका–4 : राज्य में सर्व शिक्षा अभियान का बजट (राशि करोड़ में)**

| मद / वर्ष | 2015–16 बजट अनुमान | 2015–16 संशोधित अनुमान | 2015–16 वास्तविक व्यय | 2016–17 बजट अनुमान | 2016–17 संशोधित अनुमान | 2016–17 वास्तविक व्यय | 2017–18 बजट अनुमान | 2017–18 संशोधित अनुमान | 2018–19 बजट अनुमान |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| केन्द्रीय अनुदान | 1296.71 (26.00) | 2615.00 (64.97) | – | 2718.43 (60) | 2718.43 (60) | – | – | – | – |
| राज्यांश | 3690.63 (74.00) | 1410 (35.03) | – | 1812.28 (40) | 1812.29 (40) | – | – | – | – |
| कुल योग | 4987.34 (100) | 4025 (100) | 4025.00 | 4530.71 (100) | 4530.72 (100) | उपलब्ध नहीं | 4530.72 (100) | 5644.83 | 7050.0 |

**स्रोत** : बजट पुस्तिका, वित्त विभाग, राजस्थान, संबंधित वर्ष

**शेष पृष्ठ संख्या 3 पर**

# राजस्थान का स्वास्थ्य हेतु बजट

स्वास्थ्य मानव विकास की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण सूचक है एवं समाज के सामजिक एवं आर्थिक विकास से प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रुप से जुड़ा हुआ है। लेकिन देश के अन्य राज्यों की तरह राजस्थान में स्वास्थ्य के हालात बेहद कमजोर हैं साथ ही बड़ी संख्या में महिलायें एवं बच्चे एनिमिया एवं कुपोषण से ग्रसित है। हालांकि स्वास्थ्य में सुधार हेतु केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों के जरीये प्रयास किये जा रहे हैं लेकिन इन योजनाओं एवं कार्यक्रमों के क्रियांवयन में बजट की महत्त्वपूर्ण भूमिका रहती है।

**चिकित्सा, लोक स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण का बजट :**

वित्तीय वर्ष 2018–19 में राजस्थान का कुल बजट (उदय बिना) 197274.66 करोड़ रूपये है जिसमें से लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के लिए कुल 12813.48 करोड़ रूपये आवंटित किये गए हैं, जो कुल राज्य बजट का 6.5 प्रतिशत है और पिछले वर्ष के संशोधित अनुमान से केवल 0.35 प्रतिशत ज्यादा है।

**तालिका : स्वास्थ्य और परिवार कल्याण का बजट विवरण (राशि करोड़ में)**

| वर्ष | चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य | | | परिवार कल्याण | | | महायोग |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | राजस्व | पूंजीगत | योग | राजस्व | पूंजीगत | योग | |
| 2014–15 बजट अनुमान | 4650.22 | 1073.78 | 5724 | 2979.39 | .. | 2979.39 | 8703.39 |
| 2014–15 वास्तविक व्यय | 3953.98 | 484.32 | 4438.3 | 2019.4 | .. | 2019.4 | 6457.7 |
| 2015–16 बजट अनुमान | 5320.67 | 1068.69 | 6389.36 | 3026.91 | .. | 3026.91 | 9416.27 |
| 2015–16 वास्तविक व्यय | 4739.7 | 575.58 | 5315.28 | 2442.53 | .. | 2442.53 | 7757.81 |
| 2016–17 बजट अनुमान | 5700.7 | 2574.89 | 8275.59 | 1261.78 | .. | 1261.78 | 9537.37 |
| 2016–17 संशोधित अनुमान | 5632.06 | 645.22 | 6277.28 | 2296.19 | .. | 2296.19 | 8573.47 |
| 2016–17 वास्तविक व्यय | 5453.67 | 515.34 | 6634.84 | 2284.16 | .. | 2284.16 | 8253.18 |
| 2017–18 बजट अनुमान | 6068.07 | 1330.62 | 7398.69 | 2351.88 | .. | 2351.88 | 9750.57 |
| 2017–18 संशोधित अनुमान | 7072.95 | 911.57 | 7984.52 | 2816.28 | .. | 2816.28 | 10800.80 |
| 2018–19 बजट अनुमान | 9049.28 | 974.54 | 10023.82 | 2789.66 | .. | 2789.66 | 12813.48 |

**स्रोत** : राज्य बजट पुस्तिका, राजस्थान सरकार

उपरोक्त तालिका स्वास्थ्य और परिवार कल्याण में की गई कुल आवंटित राशि को दर्शाता है। तालिका द्वारा देखा जा सकता है कि वर्तमान वर्ष में सरकार द्वारा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के लिए 12813.48 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2017–18 के बजट अनुमान में 9750.60 करोड़ रूपये आवंटित किये गए थे जो संशोधित बजट में बढ़कर 10800.80 करोड़ रूपये हो गये। वर्ष 2018–19 में राज्य सरकार की कुल अनुमानित बजट राशि में वर्ष 2016–17 और 2017–18 की अनुमानित बजट राशि की तुलना में काफी ज्यादा बदलाव किया गया है। हालांकि चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य के आयोजना बजट में 2017–18 की तुलना में 3062.88 करोड़ रू की बढ़ोतरी की गयी।

**राज्य बजट में चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण का हिस्सा :**

नीचे दी गयी तालिका राज्य बजट में चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण का हिस्सा दर्शाती है:

**तालिका : राज्य बजट में चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण का हिस्सा**
**(राशि करोड़ में)**

| वर्ष | मद | कुल राज्य बजट (उदय बिना) | चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण पर कुल आवंटन | प्रतिशत |
|---|---|---|---|---|
| 2014–15 | बजट अनुमान | 131426.9 | 8703.359 | 6.62 |
| | वास्तविक व्यय | 116605.5 | 6457.71 | 5.54 |
| 2015–16 | बजट अनुमान | 137713.38 | 9416.27 | 6.84 |
| | वास्तविक व्यय | 129736.02 | 7757.8 | 5.98 |
| 2016–17 | बजट अनुमान | 151127.7 | 9537.39 | 6.31 |
| | संशोधित अनुमान | 148506.69 | 8573.5 | 5.77 |
| | वास्तविक व्यय | 139727.68 | 8253.18 | 5.91 |
| 2017–18 | बजट अनुमान | 166753.9 | 9750.6 | 5.85 |
| | संशोधित अनुमान | 175615.12 | 10800.80 | 6.15 |
| 2018–19 | बजट अनुमान | 197274.66 | 12813.48 | 6.50 |

**स्रोत** : राज्य बजट पुस्तिका, राजस्थान सरकार

उपरोक्त तालिका के अनुसार वर्ष 2018–19 में राज्य के कुल अनुमानित बजट का 6.50 प्रतिशत और 2017–18 में राज्य के कुल अनुमानित बजट का 5.85 प्रतिशत चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के लिए आवंटित किया गया जो 2017–18 के संशोधित बजट में बढ़कर 6.15 प्रतिशत एवं 2016–17 के लेखे में घटकर 5.91 प्रतिशत हो गया। इसके अलावा 2018–19 में राज्य बजट में चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण का हिस्सा पिछले वर्ष के संशोधित बजट की तुलना में लगभग 0.35 प्रतिशत बढ़ा है।

**शहरी एवं ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं पर कुल व्यय :**

वर्ष 2017–18 में शहरी स्वास्थ्य पर आंवटित कुल राजस्व एवं पूंजीगत बजट 2163.83 करोड़ रूपये था जो 2017–18 के संशोधित बजट में बढ़कर 2244.06 करोड़ रूपये हो गया। वर्ष 2017–18 के बजट अनुमान की तुलना में 2018–19 के बजट अनुमान में लगभग 604.86 करोड़ रूपये की बढ़ोतरी की गयी है।

**तालिका : शहरी एवं ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं पर कुल व्यय**
**(राशि करोड़ में)**

| वर्ष | मद | शहरी स्वास्थ्य सेवाएं – एलोपैथी | शहरी स्वास्थ्य सेवाएं – अन्य | शहरी स्वास्थ्य सेवाएं – पूंजीगत | कुल शहरी | ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं – एलोपैथी | ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं – अन्य | ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं – पूंजीगत | कुल ग्रामीण |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014–15 | बजट अनुमान | 1504.90 | 202.34 | 196.32 | 1903.54 | 1054.19 | 386.53 | 220.97 | 1661.69 |
| 2014–15 | वास्तविक व्यय | 1390.43 | 174.09 | 157.55 | 1722.08 | 928.19 | 371.32 | 118.39 | 1417.90 |
| 2015–16 | बजट अनुमान | 1571.37 | 203.53 | 113.59 | 1888.49 | 1164.69 | 438.75 | 306.8 | 1910.24 |
| 2015–16 | वास्तविक व्यय | 1480.00 | 194.96 | 23.04 | 1698.00 | 1026.05 | 443.60 | 130.49 | 1600.14 |
| 2016–17 | बजट अनुमान | 1649.86 | 227.15 | 101.17 | 1978.17 | 1215.66 | 462.97 | 313.36 | 1991.99 |
| 2016–17 | संशोधित अनुमान | 1649.30 | 212.37 | 25.22 | 1886.89 | 1261.05 | 464.63 | 204.86 | 1930.54 |
| 2016–17 | वास्तविक व्यय | 1790.77 | 249.89 | 123.17 | 2163.83 | 1455.79 | 500.72 | 241.35 | 2197.86 |
| 2017–18 | बजट अनुमान | 1922.11 | 254.75 | 67.20 | 2244.06 | 1491.45 | 581.93 | 196.24 | 2269.61 |
| 2017–18 | संशोधित अनुमान | 2335.23 | 312.07 | 121.39 | 2768.69 | 1871.18 | 656.61 | 207.11 | 2734.90 |
| 2018–19 | बजट अनुमान | 1649.30 | 212.37 | 25.22 | 1886.89 | 1261.05 | 464.63 | 204.86 | 1930.54 |

**स्रोत** : राज्य बजट पुस्तिका, राजस्थान सरकार

इसके अलावा 2017–18 के बजट अनुमान में ग्रामीण स्वास्थ्य पर किये जाना वाला कुल राजस्व एवं पूंजीगत व्यय 2197.86 करोड़ रूपये था जो संशोधित बजट में बढ़कर 2269.61 करोड़ रूपये हो गया। इसके साथ ही वित्तीय वर्ष 2018–19 में ग्रामीण स्वास्थ्य सुविधाओं पर कुल बजट अनुमान में 2734.90 करोड़ रूपये आवंटित किये गए हैं जो गत वर्ष की तुलना में 537.04 करोड़ रूपये ज्यादा है।

राजस्थान की लगभग 75 प्रतिशत जनता ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है और ग्रामीण क्षेत्र में कम बजट खर्च होने व कम स्वास्थ्य सुविधायें उपलब्ध होने के कारण लोग स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की ओर आते हैं जो उनके स्वास्थ्य पर हो रहे खर्च को और बढ़ा देता है। नीचे दी गयी तालिका राज्य में शहरी एवं ग्रामीण स्वास्थ्य पर कुल खर्च को दर्शाती है:

**चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण की मुख्य योजनाओं के बजटीय प्रावधान :**

नीचे दी गई तालिका चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के अंतर्गत आने वाली मुख्य योजनाओं के बजटीय प्रावधान को दर्शाती है।

**तालिका : मुख्य योजनाओं पर कुल व्यय (राशि करोड़ में)**

| वर्ष | मद | राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन | | मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना | मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना |
|---|---|---|---|---|---|
| | | शहरी | ग्रामीण | | |
| 2014–15 | बजट अनुमान | 290.13 | 1830 | 299.56 | 131.52 |
| 2014–15 | वास्तविक व्यय | 75.55 | 1129.08 | 245.04 | 85.44 |
| 2015–16 | बजट अनुमान | 290.13 | 1834 | 367.42 | 131.22 |
| 2015–16 | वास्तविक व्यय | 81.16 | 1643.04 | 363.46 | 111.83 |
| 2016–17 | बजट अनुमान | 117.50 | 1622.61 | 360.36 | 129.46 |
| 2016–17 | संशोधित अनुमान | 70.5 | 1415.49 | 300.36 | 117.06 |
| 2016–17 | वास्तविक व्यय | 26.92 | 1551.06 | – | 138.32 |
| 2017–18 | बजट अनुमान | 90.48 | 1525.21 | 415.99 | 156.54 |
| 2017–18 | संशोधित अनुमान | 42.95 | 2158.62 | 560.02 | 175.51 |
| 2018–19 | बजट अनुमान | 121.53 | 1788.61 | 557.09 | 185.39 |

**स्रोत** : राज्य बजट पुस्तिका राजस्थान सरकार

- **राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन** : वित्तीय वर्ष 2015–16 एवं 2016–17 में राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन पर अनुमानित बजट राशि 290.13 करोड़ रूपये और 117.51 करोड़ रूपये थी। 2015–16 के लेखे में यह घटकर सिर्फ 81.16 करोड़ रूपये और 2016–17 में वास्तविक व्यय सिर्फ 26.92 करोड़ रूपये हुआ। इससे सरकार की बजट राशि उपयोग कर पाने में असमर्थता प्रतीत होती है। 2017–18 की बजट अनुमान राशि में 2016–17 की बजट अनुमान राशि की तुलना में लगभग 27. 03 करोड़ रूपये की बढ़ोतरी की गयी थी एवं 2018–19 के बजट में इसे और बढ़ाया गया है।
- **राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन** : राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन में 2015–16 के बजट अनुमान में कुल 1834 करोड़ रुपये और 2016–17 के बजट अनुमान में कुल 1622.61 करोड़ रूपये आवंटित किये गए, जो 2015–16 के लेखे में घटकर 1643.04 करोड़ रूपये और 2016–17 लेखे में घटकर 1551.06 करोड़ रूपये हो गया। इसके अलावा 2017–18 के संशोधित बजट में 2017–18 के बजट अनुमान की तुलना में लगभग 523.41 करोड़ रु. की बढ़ोतरी की गयी गयी है। 2018–19 में इस योजना का बजट करीब 153.40 करोड़ रूपये से बढ़ाया गया है।
- **मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना** : वित्तीय वर्ष 2015–16 में अनुमानित बजट राशि में 367. 42 करोड़ रुपये आवंटित किए गए जिसमें से 363.46 करोड़ रुपये वास्तविक तौर पर खर्च हो पाये। वित्तीय वर्ष 2017–18 के बजट अनुमान में मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना हेतु कुल 415.99 करोड़ रूपये आवंटित किये गए जो संशोधित अनुमान में घटकर 560.02 करोड़ रूपये रह गया। 2018–19 में इस योजना में 141.1 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी हुई है। प्रदेश में निःशुल्क दवा योजना की जरूरत और लोकप्रियता को देखते हुए यह आवंटन कम व चिंताजनक है।
- **मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना** : मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना में वित्तीय वर्ष 2015–16 में अनुमानित बजट राशि में 131.22 करोड़ रुपये आवंटित किए गए जिसमें से सिर्फ 111.83 करोड़ रुपये वास्तविक तौर पर खर्च हो पाये। वित्तीय वर्ष 2016–17 में कुल बजट अनुमान 129.46 करोड़ रूपये थी जिसमें से सिर्फ 138.32 करोड़ रुपये वास्तविक तौर पर खर्च हो पाये। 2018–19 में इस योजना की राशी में 28.84 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी हुई है।

राजस्थान सरकार द्वारा किये गये बजट आवंटन को देखकर यह आंका जा सकता है कि यह आवंटन राज्य की स्वास्थ्य सुविधाओं को सुधारने के लिये काफी नहीं है।

# राज्य में अनुसूचित जाति एवं जनजाति उपयोजना

भारत में आदिवासियों एवं दलितों के समग्र विकास तथा इनको विकास की मुख्य धारा से जोड़कर अन्य वर्गों एवं क्षेत्रों के समकक्ष लाने हेतु 5वीं पंचवर्षीय योजना के वर्ष 1974–75 में जनजाति उपयोजना एवं वर्ष 1979 में अनुसूचित जाति उपयोजना (जिसको 2007 से पहले विशेष संघटक योजना के नाम से जाना जाता था) की रणनीति अपनाई गई। जिसके अनुसार केन्द्र सरकार एवं प्रत्येक राज्य सरकार को अपने आयोजना बजट का आदिवासी एवं दलित आबादी के अनुपात में क्रमशः जनजाति उपयोजना एवं अनुसूचित जाति उपयोजना के तहत आवंटित कर इन वर्गों के विकास हेतु व्यय करना चाहिये। चुंकि राज्य की कुल आबादी में दलित एवं आदिवासियों का प्रतिशत, 2011 जनगणना के अनुसार क्रमशः 17.8 एवं 13.5 प्रतिशत है। 2001 की जनगणना के अनुसार राज्य की आबादी में दलित एवं आदिवासियों का प्रतिशत क्रमशः 17.1 एवं 12.5 प्रतिशत थी। अतः राज्य सरकार को अपने आयोजना बजट का कम से कम इनकी आबादी के अनुपात में आवंटित करना चाहिये।

उपयोजनाओं के लागू होने के 35–40 वर्षों से अधिक समय बीत जाने के बावजूद भी दोनों उपयोजनाओं में मानदंड से बहुत ही कम राशि आवंटित एवं व्यय की जा रही है तथा यही स्थिति केन्द्र एवं देश के करीब सभी राज्यों में देखी जा सकती है। अतः देश में विगत 4–5 वर्षों से इन उपयोजनाओं के लिये कानून बनाने की मांग की जा रही है। इसी कड़ी में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका एवं उत्तराखंड सरकारों द्वारा अपने राज्य में अनुसूचित जाति एवं जनजाति उपयोजना के लिये कानून बनाया है। राजस्थान में सरकार द्वारा वर्ष 2013 में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति उपयोजना विधेयक 2013 का मसौदा तैयार किया गया था। लेकिन इसके बाद इस मसौदे को कानूनी रुप देने हेतु कोई कदम नहीं उठाया गया।

इसके अलावा वर्ष 2017–18 से केन्द्र सरकार के साथ–साथ राज्य सरकार द्वारा भी बजट के योजना एवं गैर–योजना वर्गीकरण को समाप्त किये जाने के बाद दोनो उपयोजनाएं भी लगभग समाप्त हो गयी है। इसके परिणामस्वरूप उपयोजनाओं हेतु केन्द्र एवं राज्य सरकारों द्वारा इस निर्णय से पूर्व बनाये गये कानून भी प्रासंगिक नहीं रहे हैं। हालांकि तेलंगाना सरकार सरकार द्वारा बनाया गया कानून बजट में इस बदलाव के बाद तथा बजट के योजना व गैर–योजना वर्गीकरण की समाप्ति को ध्यान में रखते हुये बनाया गया है।

अतः बजट के योजना व गैर–योजना वर्गीकरण की समाप्ति के बाद दोनों उपयोजनाओं का आधार ही समाप्त हो गया है एवं राज्य बजट में यह देखना मुश्किल है कि कुल योजनागत बजट में दोनों उपयोजनाओं का आवंटन अनुपात कितना है। इस स्थिति में राजस्थान सरकार को भी तेलंगाना सरकार की तर्ज पर अनुसूचित जाति एवं जनजाति उपयोजनाओं के क्रियांवयन के हेतु कानून बनाने की आवश्यकता है।

**उपयोजनाओं हेतु बजट आवंटन की स्थितिः**

प्रस्तुत नोट में राज्य बजट में अनुसूचित जाति एवं जनजाति उपयोजनाओं की स्थिति का विवरण प्रस्तुत किया गया है। राज्य में अनुसूचित जाति एवं जनजाति उपयोजना के अंतर्गत गत 5–6 वर्षों में हुए आवंटन एवं व्यय को निम्न तालिका में दर्शाया गया है।

**तालिका–राज्य बजट में अनुसूचित जाति एवं जनजाति उपयोजनाओं की स्थिति (राशि करोड़ में)**

| वित्तीय वर्ष | राज्य का कुल आयोजना व्यय | अनुसूचित जाति उपयोजना बजट | जनजाति उपयोजना बजट |
|---|---|---|---|
| 2014–15 बजट अनुमान | 57115.26 | 4814.65 (8.43) | 4150.45 (7.27) |
| 2014–15 संशोधित | 51511.92 | 4860.17 (9.44) | 4420.92 (8.58) |
| 2014–15 वास्तविक | 44176.87 | 3887.15 (8.8) | 3302.64 (7.48) |
| 2015–16 बजट अनुमान | 57322.77 | 5545.78 (9.67) | 4626.75 (8.07) |
| 2015–16 संशोधित | 56288.89 | 5884.94 (10.45) | 5434.18 (9.65) |
| 2015–16 वास्तविक | 50177.65 | 5540.98 (11.04) | 4316.03 (8.60) |
| 2016–17 बजट अनुमान | 67339.97 | 6950.61 (10.32) | 7314.94 (10.86) |
| 2016–17 संशोधित अनुमान | 60497.15 | 7934.99 (13.12) | 5638.53 (9.32) |
| 2016–17 वास्तविक व्यय | 54943.28 | 7542·54 (13·73) | 5694·97 (10·37) |
| 2017–18* बजट अनुमान | – | 9245.51 | 7430.88 |
| 2017–18* संशोधित अनुमान | – | 9204·81 | 8008·48 |
| 2018–19* बजट अनुमान | – | 12514.27 | 10633.75 |

**स्रोत** : बजट पुस्तिका, वित्त विभाग के आंकड़ों के आधार पर

नोट : ( ) कोष्टक में राज्य के कुल योजनागत बजट में अनुसूचित जाति एवं जनजाति उपयोजना के बजट का प्रतिशत दर्शाया गया है।

नोट– * वर्ष 2017–18 से बजट का आयोजना एवं गैर आयोजना वर्गीकरण समाप्त कर दिया गया है इसलिये इस साल के बजट अनुमान में उपयोजनाओं का राज्य आयोजना बजट से प्रतिशत नहीं दिखाया गया है।

उपरोक्त तालिका के अनुसार इस वर्ष 2018–19 में अनुसूचित जाति उपयोजना हेतु सभी विभागों में कुल करीब 12514.27 करोड़ रु. आवंटित किये गये हैं। गत वर्ष 2017–18 के अनुमानित बजट में अनुसूचित जाति उपयोजना हेतु सभी विभागों में कुल करीब 9245.51 करोड़ रु. का बजट आवंटित किया गया जिसको संशोधित बजट में कुछ कम करके 9204 करोड़ रु. कर दिया गया है। वर्ष 2016–17 के अनुमानित बजट में अनुसूचित जाति उपयोजना हेतु सभी विभागों में कुल करीब 6950.61 करोड़ रु. आवंटित किये थे, जो राज्य के आयोजना बजट (उदय के अलावा) का करीब 10.32 प्रतिशत था जिसको संशोधित बजट में कुछ बढ़ाकर 7934.99 करोड़ रु. कर दिया गया है, जबकि वास्तविक व्यय केवल 7542.5 करोड़ रु. रहा। वर्ष 2015–16 के संशोधित बजट में अनुसूचित जाति उपयोजना हेतु सभी विभागों में कुल बजट करीब 5884.94 करोड़ रु. आवंटित किये थे जबकि वास्तविक व्यय करीब 5540. 98 करोड़ रु. रहा जो राज्य के आयोजना बजट (उदय के अलावा) का करीब 11 प्रतिशत है।

इसी प्रकार इस वर्ष 2018–19 के अनुमानित बजट में जनजाति उपयोजना हेतु सभी विभागों में कुल करीब 10633.75 करोड़ रु. आवंटित किये हैं जो गत वर्ष 2017–18 के अनुमानित बजट 7430.88 करोड़ रु. तथा संशोधित बजट 8008.48 करोड़ रु. से अधिक हैं। वर्ष 2016–17 के बजट अनुमान में जनजाति उपयोजना हेतु सभी विभागों में कुल लगभग 7314.94 करोड़ रु. प्रस्तावित किये थे, जो राज्य के आयोजना बजट (उदय के अलावा) का करीब 10.8 प्रतिशत है जिसको संशोधित बजट में कुछ कम करके करीब 5638.53 करोड़ रु. कर दिया गया, जबकि वास्तविक व्यय करीब 5694.97 करोड़ रु. रहा। वर्ष 2015–16 के संशोधित बजट में जनजाति उपयोजना हेतु सभी विभागों में कुल बजट लगभग 5434.18 करोड़ रु. आवंटित किये गये थे जबकि वास्तविक व्यय करीब 4316.03 करोड़ रु. रहा, जो राज्य के आयोजना बजट (उदय के अलावा) का करीब 8.6 प्रतिशत है।

विगत 7–8 वर्षों के आंकड़ों पर अगर गोर किया जाये तो वर्ष 2009–10 से 2013–14 तक दोनों उपयोजनाओं के आवंटन में लगातार बढ़ोतरी देखी जा सकती है। वर्ष 2016–17 के बजट अनुमान एवं संशोधित अनुमान में राज्य के योजनागत बजट (उदय के अलावा) की तुलना में दोनों उपयोजनाओं के अनुपात में विगत वर्षों की तुलना में बढोतरी हुयी थी। हालांकि फिर भी राज्य में उपयोजनाओं का आवंटन मानदंड की तुलना में काफी कम रहा है।

**आयोजना विभाग एवं वित्त विभाग के आंकड़ों में अंतर :**

इसके अलावा सोचने वाली बात यह है कि बजट पुस्तिका–4ब में राज्य सरकार द्वारा दर्शाये गये आंकड़ों के अनुसार राज्य में इस साल भी अनुसूचित जाति एवं जनजाति उपयोजना हेतु आवंटन दलित एवं आदिवासी जनसंख्या के अनुरुप ही (करीब 17.8 एवं 13.5 प्रतिशत) है। इस पुस्तिका के अनुसार राज्य में वर्ष 2018–19 हेतु कुल योजनागत बजट करीब 107865.39 करोड़ रु. है जिसमें जनजाति उपयोजना हेतु करीब 14610.05 करोड़ रु. एवं अनुसूचित जाति उपयोजना हेतु करीब 19283.74 करोड़ रु. आवंटित किये गये हैं। यह आंकड़ा आयोजना विभाग द्वारा प्रदान की गयी सूचनाओं के आधार पर दिया जाता है जिसमें उपयोजनाओं हेतु बजट आवंटन आदिवासी एवं दलित आबादी के अनुसार ही दर्शाया जाता है। लेकिन वित्त विभाग की विस्तृत बजट पुस्तिकाओं को आधार मानकर उपयोजनाओं हेतु एवं इनके लिये निर्धारित उपशीर्षों (एससीएसपी–789 एवं टीएसपी–796) में दर्शाय गये बजट आंवटन को जोड़कर देखा जाये तो यह मानदंड से बहतु ही कम (तालिका में दर्शाये गये आंकड़ों के अनुसार) पाया जाता है।

जैसा कि उपर उल्लेख किया गया है कि राज्य की पूर्व सरकार ने उपयोजनाओं के व्यवस्थित क्रियांवयन हेतु एवं इनको कानूनी रुप देने हेतु अनुसूचित जाति एवं जनजाति उपयोजना विधेयक 2013 का मसौदा तैयार किया था। लेकिन अभी तक राज्य में उपयोजनाओं को कानूनी रुप देने हेतु तैयार किये गये मसौदे पर सरकार द्वारा कोई कदम नहीं उठाया गया है। सरकार द्वारा आयोजना एवं गैर–आयोजना बजट वर्गीकरण की समाप्ति से उपयोजना का आधार भी समाप्त हो गया है जिसके परिणामस्वरुप उपयोजनाएं भी लगभग समाप्त हो गयी। इसको ध्यान में रखते हुये, अनुसूचित जाति उपयोजना तथा जनजाति उपयोजना को कानूनी रूप देने हेतु तेलंगाना सरकार की तर्ज पर एक विधेयक तैयार किया जाये। इसके अलावा राज्य सरकार को केन्द्र सरकार की तरह उपयोजनाओं के अंतर्गत किये जाने बजट आवंटन को दर्शाने हेतु अलग स्टेटमेंट जारी करने चाहिये।

**पृष्ठ 1 का शेष – राजस्थान में शिक्षा बजट**

वर्ष 2014–15 से केन्द्र सरकार द्वारा सर्व शिक्षा अभियन हेतु आवंटित होने वाले बजट को राज्य के आयोजना बजट में शामिल किया गया था। इससे पहले सर्व शिक्षा अभियान की राशि केन्द्र सरकार द्वारा राज्य के प्रारंभिक शिक्षा परिषद को प्रदान की जाती थी। यह राशि वर्ष 2014–15 से राज्य सरकार को प्रदान की जा रही है। सर्व शिक्षा अभियान की अधिकांश राशि शिक्षकों के वेतन पर व्यय होती है, वित्तीय वर्ष 2016–17 में एस.एस.ए. के कुल आंवटित बजट का लगभग 90 प्रतिशत वेतन भत्ते के लिए आवंटित किया गया था। वित्तीय वर्ष 2018–19 के बजट अनुमान में एस.एस.ए का कुल बजट करीब 7050 करोड़ रु. रखा गया है जो गत वर्ष के बजट अनुमान एवं संशोधित अनुमान से काफी अधिक है।

**माध्यमिक शिक्षा अभियान का बजट :**

**तालिका–5 : राज्य में माध्यमिक शिक्षा अभियान का बजट (राशि करोड़ में)**

| मद / वर्ष | 2015–16 बजट अनुमान | 2015–16 संशोधित अनुमान | 2015–16 वास्तविक व्यय | 2016–17 बजट अनुमान | 2016–17 संशोधित अनुमान | 2016–17 वास्तविक व्यय | 2017–18 बजट अनुमान | 2017–18 संशोधित अनुमान | 2018–19 बजट अनुमान |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| कुल बजट | 1086.48 | 721.87 | 588.55 | 1538.00 | 619.00 | – | 700 | 766.32 | 903.40 |
| केन्द्रीयांश | 814.86 | 410.32 | – | 900.00 | 358.12 | उपलब्ध नहीं | – | – | – |

**स्रोत** : बजट पुस्तिका, वित्त विभाग, राजस्थान, संबंधित वर्ष

उपरोक्त तालिका के अनुसार इस वर्ष राज्य में माध्यमिक शिक्षा अभियान के बजट में गत वर्ष के बजट अनुमान की तुलना में लगभग 130 करोड़ रू. अधिक है। उपरोक्त आंकड़ों से यह भी स्पष्ट होता है कि सरकार माध्यमिक शिक्षा अभियान के लिए आवंटित राशि में से बहुत कम खर्च कर पा रही है, अगर हम 2014–15, 2015–16 एवं 2016–17 के संशोधित अनुमान की राशि देखें तो हमें ज्ञात होगा कि ये इन वर्षो के बजट अनुमान से काफ़ी कम है, साथ ही इन वर्षों में वास्तविक व्यय तो और भी कम है।

**प्रारंभिक शिक्षा में प्रति बालक एवं प्रति विद्यालय हेतु एक वर्ष के बजट का आंकलन :**

उपरोक्त तालिका के अनुसार राज्य में वर्ष 2014–15 में प्रति बालक करीब 18961.25 रु. एवं वर्ष 2015–16 में प्रति बालक करीब 16461.72 रु तथा वर्ष 2016–17 में 16931 रु. खर्च किये गये। जबकि संशोधित बजट के अनुसार वर्ष 2017–18 में प्रति बालक करीब 18160.7 रु. एवं वर्ष 2018–19 के बजट अनुमान के अनुसार इस साल प्रति बालक करीब 21302.55 रु आवंटित किये गये हैं।

**तालिका–6 : प्रारंभिक शिक्षा में प्रति बालक एवं प्रति विद्यालय हेतु सालाना औसत बजट**
**(राशि करोड़ में)**

| मद / वर्ष | 2014–15 | 2015–16 | 2016–17 | 2017–18 | 2018–19 |
|---|---|---|---|---|---|
| कुल बजट (राशि करोड़ रु. में) | 11519 | 10517.39 | 10648.01 | 11421.26 | 13397.17 |
| कुल नामांकित बच्चे (लाख में) | 60.75 | 63.89 | 62.84 | – | – |
| प्रति बालक बजट राशि (राशि रु. में) | 18961.25 | 16461.72 | 16931.16 | 18160.70* | 21302.55* |
| कुल विद्यालय (प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक) | 79098 | 80086 | 77218 | – | |
| प्रति विद्यालय (राशि लाख रु. में) | 14.56 | 13.30 | 15.13 | 16.23* | 19.03'* |

**स्रोत** : 1. बजट पुस्तिका, वित्त विभाग, राजस्थान, संबंधित वर्ष 2. आर्थिक समिक्षा, राजस्थान सरकार, 2015–16 एवं 2016–17

**नोट** : * वर्ष 2017–18 एवं 2018–19 के लिये प्रति बालक एवं प्रति विद्यालय बजट की गणना 2016–17 को आधार मानकर की गयी है।

इसी प्रकार वर्ष 2014–15 में प्रति विद्यालय करीब 14.56 लाख रु. एवं वर्ष 2015–16 में प्रति विद्यालय करीब 13.30 लाख रु. रु तथा वर्ष 2016–17 में 15.13 लाख रु. रु. खर्च किये गये। जबकि वर्ष 2017–18 के संशोधित बजट में प्रति विद्यालय करीब 16.23 लाख रु एवं वर्ष 2018–19 में प्रति विद्यालय करीब 19.03 लाख रु आवंटित किये गये हैं।

सरकार के आंकड़ों के अनुसार राज्य के विद्यालयों में भौतिक एवं मानवीय संसाधनों की कमी है अतः सरकार को विद्यालयों में मूलभूत सुविधाओं एवं संसाधनों का विकास करना चाहिये। इसके साथ ही शिक्षकों के रिक्त पदों को शिघ्र भरना चाहिये। इस हेतु राज्य में शिक्षा पर बजट खर्च को बढाना चाहिये, क्योंकि वर्तमान में सरकार राज्य में सकल घरेलू राज्य उत्पाद का मात्र करीब 3–3.5 प्रतिशत ही शिक्षा पर खर्च कर रही है। जबकि कोठारी आयोग की सिफारिशों के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद का कम से कम 6 प्रतिशत शिक्षा पर व्यय किया जाना चाहिये। इसके अलावा विद्यालयों की शैक्षणिक गतिविधियों, बजट खर्च एवं इनको मिलने वाले विभिन्न अनुदानों की निगरानी एवं इनके उपयोग में समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिये।

# राज्य में कृषि एवं सिंचाई हेतु आवंटन एवं खर्च

**राजस्थान में कृषि क्षेत्र की स्थितिः** राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य है, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से 8वां बड़ा राज्य है। राज्य का कुल क्षेत्रफल 3.42 करोड़ हैक्टेयर है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का करीब 10.4 प्रतिशत है। राज्य का 8.00 प्रतिशत क्षेत्रफल वानिकी के अन्तर्गत, 5.66 प्रतिशत क्षेत्रफल कृषि के अतिरिक्त भूमि के अन्तर्गत, 7.01 प्रतिशत क्षेत्रफल ऊसर तथा कृषि अयोग्य भूमि के अन्तर्गत, 4.88 प्रतिशत क्षेत्रफल स्थायी चारागाह तथा अन्य गोचर भूमि के अन्तर्गत, 0.08 प्रतिशत क्षेत्रफल वृक्षों के झुण्ड तथा बाग के अन्तर्गत, 11.78 प्रतिशत क्षेत्रफल बंजर भूमि के अन्तर्गत, 6.04 प्रतिशत क्षेत्रफल अन्य चालू पड़त भूमि के अन्तर्गत, 5.42 प्रतिशत क्षेत्रफल चालू पड़त के अन्तर्गत एवं 51.13 प्रतिशत शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल के अन्तर्गत है।

इसी प्रकार 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की जनसंख्या 6.86 करोड़ हो गई है, जो देश की कुल जनसंख्या का 5.67 प्रतिशत है। राज्य की करीब 62 प्रतिशत आबादी कृषि एवं संबंधित गतिविधियों से जुड़ी है। कृषि गणना, 2015–16 के अनुसार कुल क्रियाशील भूमि जोतों की संख्या 76.55 लाख है, जबकि वर्ष 2010–11 में यह संख्या 68.88 लाख थी, अर्थात भूमि जोतों की संख्या में 11.14 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। कुल जोतों में सीमान्त 40.12 प्रतिशत, लघु 21.90 प्रतिशत, अर्द्ध मध्यम 18.50 प्रतिशत, मध्यम 14.79 प्रतिशत, बड़े आकार की तथा वर्गीकृत 4.69 प्रतिशत हैं। वर्ष 2010–11 की तुलना में 2015–16 में सीमांत, लघु, अर्द्व मध्यम एवं मध्यम आकार की जोतों की संख्या में कमी हुई है। राज्य में वर्ष 2010–11 में कुल जोतों का क्षेत्रफल 211.36 लाख हैक्टेयर था, जो वर्ष 2015–16 में घटकर 208.73 लाख हैक्टेयर हो गया, अर्थात जोतों के कुल क्षेत्रफल में 1.24 प्रतिशत की कमी दर्ज हुई है। (आार्थिक समीक्षा, 2017–18)

राज्य में कुल कृषिगत क्षेत्र का 35 से 38 प्रतिशत क्षेत्र ही सिंचित है, जबकि शेष 62 से 65 प्रतिशत गैर सिंचित क्षेत्र है। राज्य में सिंचाई के विभिन्न स्रोतों पर सिंचाई की निर्भरता देखते हैं तो राज्य में 70 प्रतिशत से अधिक सिंचाई, कुओं एवं नलकूप पर निर्भर है। अन्य स्रोतों की कमी के कारण कुओं एवं नलकूप द्वारा भूमिगत जल का तेजी से विदोहन हो रहा है एवं भूमिगत जलस्तर निरंतर गिर रहा है।

**तालिका 1: राज्य के कुल बजट के अनुपात में कृषि एवं संबंद्ध क्षेत्र तथा सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण का बजट (राशि करोड़ में)**

| वर्ष | कृषि एवं संबंद्ध क्षेत्र | | सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण | |
|---|---|---|---|---|
| | कृषि एवं संबंद्ध क्षेत्र का बजट | राज्य के कुल व्यय से प्रतिशत | सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण का बजट | राज्य के कुल व्यय से प्रतिशत |
| 2014–15 (वास्तविक) | 4537.8 | 3.89 | 2989.89 | 2.52 |
| 2015–16 (संशोधित) | 5129.85 | 2.83 | 3246.55 | 1.79 |
| 2015–16 (वास्तविक) | 4437.41 | 3.42 | 3120.36 | 2.41 |
| 2016–17 (अनुमान) | 6515.93 | 3.85 | 4131.22 | 2.40 |
| 2016–17 (संशोधित) | 6041.20 | 4.07 | 4080.46 | 2.75 |
| 2016–17 (वास्तविक) | 5602.05 | 4.01 | 3901.26 | 2.79 |
| 2017–18 (अनुमान) | 6159.06 | 3.69 | 4625.75 | 2.77 |
| 2017–18 (संशोधित) | 6170.02 | 3.51 | 4398.65 | 2.50 |
| 2018–19 (अनुमान) | 8828.01 | 4.47 | 5374.49 | 2.72 |

**स्रोत** : बजट पुस्तिका, वित्त विभाग, राजस्थान सरकार
(नोटः कुल राज्य बजट में उदय की राशि सम्मिलित नहीं है।)

उपरोक्त तालिका में कृषि एवं संबंद्ध क्षेत्र तथा सिंचाई एवं बाढ नियंत्रण के बजट को राज्य के कुल बजट के अनुपात में दर्शाया गया है जिसके अनुसार राज्य सरकार ने इस वर्ष अपने कुल व्यय की 4.47 प्रतिशत राशि कृषि एवं संबंद्ध सेवाओं में तथा 2.72 प्रतिशत राशि सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण पर व्यय करना अनुमानित किया है। इस वर्ष कृषि एवं संबंद्ध क्षेत्रों के बजट का प्रतिशत राज्य बजट की तुलना में पिछले वर्ष के संशोधित अनुमान के मुकाबले में लगभग 0.96 प्रतिशत बढ़ा है जबकि सिंचाई एवं बाढ नियंत्रण का बजट गत वर्ष के संशोधित अनुमान से 0.22 प्रतिशत अधिक है। अगर गत दो वर्षों के बजट को देखें तो पता चलता है कि 2016–17 के बजट अनुमान में राज्य सरकार ने अपने कुल बजट का 3.85 प्रतिशत कृषि एवं संबंद्ध क्षेत्र के लिये आवंटित किया जो कि 2015–16 के वास्तविक खर्च से 0.43 प्रतिशत अधिक है। जबकी सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण संबंद्धित सेवाओं पर 2016–17 में राज्य के कुल बजट का 2.40 प्रतिशत आवंटित हुआ, जो कि 2015–16 के वास्तविक खर्च के लगभग बराबर ही है। ऐसी स्थिती में जब कृषि क्षेत्र में पिछले कई वर्षों से वृद्धि की दर धीमी बनी हुई है। राज्य सरकार ने कृषि एवं सिंचाई के आवंटन को पिछले वर्ष की तुलना में कोई बढ़ोत्तरी नहीं की है।

**तालिका 2 : राज्य में कृषि एवं संबंद्ध क्षेत्र के लिये पिछले तीन वर्षों में बजट आवंटन (राशि करोड़ में)**

| व्यय मद | 2016–17 (अनुमान) | 2016–17 (संशोधित) | 2016–17 (वास्तविक) | 2017–18 (अनुमान) | 2017–18 (संशोधित) | 2018–19 (अनुमान) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| राजस्व व्यय | | | | | | |
| फसल कृषि कर्म | 3282.03 | 2968.43 | 2655.89 | 3085.13 | 2853.04 | 3030.78 |
| मृदा तथा जल संरक्षण | 54.72 | 67.05 | 64.61 | 58.19 | 70.16 | 51.91 |
| पशुपालन | 721.52 | 787.15 | 776.64 | 894.35 | 1038.15 | 1288.16 |
| डेरी विकास | 8.7 | 0.00 | 0.00 | 11.33 | 5.38 | 4.01 |
| मछली पालन | 14.45 | 13.27 | 12.39 | 14.03 | 13.14 | 19.36 |
| वानिकी तथा वन्य जीवन | 876.69 | 830.91 | 794.06 | 764.00 | 804.51 | 859.45 |
| खाद्य भंडारण तथा भंडागार | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| कृषि अनुंसधान तथा शिक्षा | 227.58 | 220.36 | 218.67 | 228.06 | 238.48 | 266.90 |
| सहकारिता | 634.1 | 651.56 | 608.65 | 628.20 | 688.36 | 2694.20 |
| अन्य कृषि कार्यक्रम | 9.39 | 9.35 | 9.06 | 10.15 | 10.37 | 11.67 |
| राजस्व व्यय योग | 5829.21 | 5548.08 | 5139.97 | 5693.47 | 5721.58 | 8226.43 |
| पूंजीगत व्यय | | | | | | |
| फसल कृषि कर्म | 534.51 | 264.00 | 254.12 | 279.55 | 222.08 | 410.46 |
| मृदा तथा जल संरक्षण | 0.2 | 0.27 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| पशुपालन | 7.75 | 6.04 | 4.51 | 32.66 | 29.82 | 25.60 |
| डेरी विकास | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| मछली पालन | 1.37 | 1.36 | 1.03 | 0.80 | 3.30 | 1.03 |
| वानिकी तथा वन्य जीवन | 114.28 | 193.02 | 173.74 | 135.58 | 176.29 | 155.12 |
| खाद्य भंडारण तथा भंडागार | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| कृषि अनुंसधान तथा शिक्षा | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| सहकारिता | 0.00 | 28.45 | 28.45 | 16.99 | 16.94 | 9.37 |
| अन्य कृषि कार्यक्रम | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| पूंजीगत व्ययोग | 686.72 | 493.12 | 462.09 | 465.59 | 448.43 | 601.58 |
| महायोग | 6515.93 | 6041.20 | 5602.05 | 6159.07 | 6170.02 | 8828.01 |

**स्रोत** : बजट पुस्तिका, वित्त विभाग, राजस्थान सरकार

उपरोक्त तालिका के अनुसार कृषि एवं संबंद्ध क्षेत्र के लिये आवंटित बजट में इस वर्ष पिछले वर्ष के बजट अनुमान की तुलना में 2668 करोड़ रू की बढ़ोतरी तथा संशोधित अनुमान की तुलना में केवल 2657 करोड़ की वृद्धि हुयी है। यदि देखा जाये तो यह बढ़ोतरी राजस्व मद में 2532 करोड़ एवं पूंजीगत मद में 153 करोड़ देखी जा सकती है। यह बढ़ोतरी संभवतः राज्य में सातवे वेतन आयोग को लागू करने के परिणामस्वरुप शिक्षकों एवं कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी होने से हुई है।

इसके साथ ही पशुपालन, जो कि ग्रामीण आजीविका का मुख्य आधार है, के लिये इस वर्ष कुल 1313 करोड़ रू. प्रस्तावित किये गये हैं जो कि पिछले वर्ष के बजट अनुमान से 386 करोड़ तथा पिछले वर्ष के संशोधित अनुमान से 245 करोड़ रू. अधिक है।

**तालिका 3 : राज्य में सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण के लिये पिछले तीन वर्षों का बजट (राशि करोड़ में)**

| व्यय मद | 2016–17 (अनुमान) | 2016–17 (संशोधित) | 2016–17 (वास्तविक) | 2017–18 (अनुमान) | 2017–18 (संशोधित) | 2018–19 (अनुमान) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| राजस्व व्यय | | | | | | |
| मुख्य सिंचाई | 1435.08 | 1547.76 | 1493.02 | 1591.9 | 1640.37 | 1787.51 |
| मध्यम सिंचाई | 302.85 | 298.16 | 297.53 | 321.96 | 325.46 | 367.56 |
| लघु सिंचाई | 204.11 | 185.38 | 132.68 | 157.25 | 155.70 | 155.44 |
| कमान क्षेत्र विकास | 21.19 | 19.71 | 18.57 | 20.49 | 19.84 | 22.99 |
| योग राजस्व व्यय | 1963.23 | 2051.02 | 1941.81 | 2091.59 | 2141.37 | 2333.50 |
| पूंजीगत व्यय | | | | | | |
| मुख्य सिंचाई | 1469.86 | 1236.72 | 1195.28 | 1720.66 | 1453.31 | 2371.03 |
| मध्यम सिंचाई | 80.4 | 109.55 | 109.89 | 204.9 | 155.27 | 177.39 |
| लघु सिंचाई | 458.2 | 510.04 | 505.64 | 387.56 | 416.79 | 380.60 |
| बाढ़ नियंत्रण परियोजनायें | 30 | 25.00 | 124.43 | 40.00 | 161.92 | 109.27 |
| कमान क्षेत्र विकास | 129.38 | 148.12 | 24.21 | 181.03 | 70.00 | 2.70 |
| योग पूंजीगत व्यय | 2167.99 | 2029.44 | 1959.45 | 2534.16 | 2257.28 | 3040.99 |
| महायोग | 4131.22 | 4080.46 | 3901.26 | 4625.75 | 4398.65 | 5374.49 |

**स्रोत** – बजट पुस्तकों के आधार पर
**नोट** : कुल राज्य बजट में उदय की राशि सम्मिलित नहीं है।

2018–19 में सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण के लिये आवंटित बजट में गत वर्ष के संशोधित अनुमान की तुलना में 975 करोड़ रू की वृद्धि हुयी है। यह वृद्धि मुख्य रूप से पूंजीगत व्यय मद में मुख्य सिंचाई के अंतर्गत हुयी है। लेकिन अगर पिछले दो वर्षों के बजट को देखें तो पता चलता है कि बजट अनुमान में आवंटित राशि को कृषि एवं संबंद्ध क्षेत्र की तरह संशोधित बजट तथा वास्तविक व्यय में घटाया जाता रहा है।

**संपादक** – **नेसार अहमद**
**संपादक मण्डल** – **महेन्द्र सिंह राव**
– **भूपेन्द्र कौशिक**
– **बरखा माथुर**
– **मौलीश्री धस्माना**
– **पीयूष शर्मा**
**सहयोग** – **अंकुश वर्मा**
– **भीमसिंह मीणा**
**सलाहकार** – **डॉ जिनी श्रीवास्तव**

**विभिन्न विभागों की बजट सम्बन्धी विस्तृत जानकारी एवं बजट समाचार के लिए आप हमसे निम्न पते पर सम्पर्क कर सकते हैं :-**

**बजट अध्ययन राजस्थान केन्द्र**
पी–1, तिलक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर – 302005
फोन/फैक्स : (0141) 238 5254
E-mail : info@barcjaipur.org website : www.barcjaipur.org

सेवा में, बुक पोस्ट

श्रीमान/श्रीमती.....

.....

..... पिन कोड .....